XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो. 1344-II/15 जिला– [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-9-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

10रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–सीधी

रेस्टो 01344-II-15

उग्रसेन पुत्र श्री मोलई कुर्मी
निवासी–सोनवर्षा तहसील–सिंहावल जिला – सीधी (म.प्र.)

...... प्रार्थी

विरूद्ध

रामकिशोर मृत विधिक वारिसान

1– रघुनाथ सोनी तनय स्व. श्री रामकिशोर

2– श्रीमती सोनिया सोनी पुत्री स्व. श्री रामकिशोर सोनी निवासीगण–ग्राम सहजी, तहसील सिंहावल जिला – सीधी (म.प्र.)

...... प्रतिप्रार्थीगण

श्री .... 1.6.15 .... को द्वारा आज प्रस्तुत 1-6-15 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन–पत्र

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, प्रार्थी का प्रकरण क्रमांक 1137–II/07 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2015 को नियत था।

2– यहकि, नियत दिनांक 26.03.2015 को प्रार्थी के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। प्रार्थी अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त् था इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक 26.03.2015 को उपस्थित नहीं हो सका। और प्रकरण अदम पैरवीं में खारिज हो गया जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई के तीसरे सप्ताह में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना पलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयीं। जानकारी दिनांक से यह आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3– यहकि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि आवेदक स्वीकार प्रकरण क्रमांक 1137–II/07 पुनरीक्षण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जायें।

स्थान : ग्वालियर निवेदक